महाराष्ट्र और मैसूर के राजनैतिक पीड़ितों को दी गई राशि एक संलग्न विवरण में दिखाई गई है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

राज्य का नाम	लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या	दी गई राशि
		रुपए
आन्ध्र प्रदेश	200	1,47,440
महाराष्ट्र	39	13,100
मैसूर	667	1,95,550

भारतीय प्रशासनिक सेवा में हरिजन अधिकारी

7520. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1952 से 1966 की अवधि में मसूर में कितने हरिजन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे थे;

(ख) उन्हें किन किन विभागों में लगाया गया था; और

(ग) क्या उन में से किसी आई० ए० एस० अधिकारी को पदोन्नत किया गया है और यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 10

(ख) इन अधिकारियों को राजस्व, न्यायालय उद्योग श्रम तथा कोषागार विभागों में लगाया गया था ।

(ग) इन में से दो अधिकारी राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत किए गए थे । उन में से एक अब सेवा निवृत्त हो गया है ।

मसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी

7521. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में 1952 से 1966 तक की अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के क्रमश: कितने व्यक्तियों को मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट के पदों पर नियुक्त किया गया; और

(ख) उन की जिलेवार संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है क्योंकि राज्य सेवाओं में नियुक्तियों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है । राज्य सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण भी अपनी-अपनी राज्य सरकारों से सम्बन्धित है । संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 12 के साथ अनुच्छेद 335 के अनुसार ।

Compensation to Repatriates from Burma

7522. Shri Kiruttinan: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Burma repatriates have not yet received compensation for their properties left in Burma;

(b) the number of persons who are eligible to get the compensation from Burma Government and the total amount that Government are expecting; and

(c) the action taken to expedite the settlement of the matter?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri L. N. Mishra): (a) Yes.

(b) and (c). The whole matter is under discussion with the Government of Burma and therefore it would not be in the public interest to disclose either the nature or details of these discussions.

नादिया जिले में जासूसों का गिरोह

7524. श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रामगोपाल शालवाले :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जून, 1967 को एक विद्यार्थी की गिरफ्तारी करने से नादिया जिले में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह की विद्यमानता का पता चला है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस के पास से अत्यन्त आपत्तिजनक कागज पकड़े गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). नदिया जिले में बाना चापरा के समीपवर्ती गांव हट-डोला में 23 जुलाई, 1967 को एक विद्यार्थी सन्देह में गिरफ्तार किया गया था, किन्तु गिरफ्तारी से जासूसों के किसी गिरोह का पता नहीं चला । अभियुक्त के पास से या उस के निवास-स्थान से कोई आपत्तिजनक कागज बरामद नहीं हुए । मामले की जांच की जा रही है ।

Copyright Royalty Paid by India

7525. Shri Srinibas Misra: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the total amount of copyright royalty paid by India to foreign countries with country-wise break up;

(b) how does the acceptance of the Indian amendment to the Berne Convention affect these payments; and

(c) what steps are proposed to take in case U.K. withholds assents to the proposed amendment?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh): (a) The information is not available.

(b) Since royalty payments would depend on various factors like the new law that may be adopted, number of foreign works utilized, number of copies sold, the price of a copy etc., it is not possible to estimate at this stage what the expenditure would be in the future on royalties.

(c) The question is hypothetical at present. If developed countries do not make their works available under the Protocol adopted, within a reasonable time, India may have to reappraise its position towards the Convention as a whole.

Neyveli Lignite Corporation

7526. Shri V. Narsimha Rao: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether any agreement was reached between the workers and the management of the Neyveli Lingnite Corporation in their recent dispute;

(b) if so, the details thereof; and